FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प चांदेलाव

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
नैनी देवी		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–175/2021
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.11.2021	प्रार्थी श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल जाति विश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प चांदेलाव में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 137/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि पूर्व में मानाराम पुत्र मंगाराम जाति विश्नोई निवासी विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार मानाराम से मुझ वादी श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल जाति विश्नाई निवासी विष्णुढाणी तहसील बिलाड़ा ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 25.09.2004 को खरीद कर लिया। उक्त बैचाननामा का राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण सख्या 1190 स्वीकृत किया गया। जब बैचाननामा निष्पादित किया गया तब वादी ने अपने पति का नाम सुनिल के बजाय सुमेर राम दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थी के पति का वास्तविक नाम सुनिल है तथा सरकारी दस्तावेज भी सुनिल के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुमेरराम के स्थान पर श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी श्रीमती नैनी देवी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी श्रीमती नैनी देवी का आधारकार्ड, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 137/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर (नैनीदेवी पत्नी सुमेरराम), बैंकडायरी श्रीमती नैनीदेवी आदि पेश किये है। तथा अपने पति सुनिल के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिनावास द्वारा जारी कि गयी टी.सी. दिनांक 08.09.1997 की नकल, राशनकार्ड सुनिल, बैंकडायरी सुनिल, आधार कार्ड सुनिल आदि पेश कियें है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत चांदेलाव द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र का पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 सुनिल पुत्र आदुराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुढाणी के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश कि[illegible] जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में [illegible] किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि [illegible] पत्नी सुमेरराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण सरकारी सहायता से वंचित हो रही हूं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:15 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी के पति का नाम सुनिल के बजाय सुमेरराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 137/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रीमती नैनीदेवी पत्नी सुमेरराम के स्थान पर श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल जाति विश्नोई निवासी विष्णुढाणी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम चांदेलाव में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प चांदेलाव

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल जाति विश्नोई निवासी विष्णुढाणी तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 175/2021

निर्णय **दिनांक** :– 29.11..
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 137/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रीमती नैनीदेवी पत्नी सुमेरराम के स्थान पर श्रीमती नैनी देवी पत्नी सुनिल जाति विश्नोई निवासी विष्णुढाणी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:15 IST
Reason: SelfAttested